पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री ओ0पी0 चन्देलिया

प्रकरण सं0 : 141/2024

उनवान :

1. विनोद कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
2. पवन सिंह पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
3. सुनिता पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
4. इन्द्रावती पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पूनिया एवं वकील प्रतिवादीगण श्री उम्मेद मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा भनाई के खाता सं0 377/343 के ख0सं0 37 की 2.947 है0 बारानी, रोही मौजा मोठसरा के खाता संख्या 90/93 के ख0सं0 228 की 2.593 है0, ख0सं0 335/228 की 0.544 है0 कुल खसरा 2 की कुल 3.1370 है0 तथा रोही मौजा भनाई के खाता संख्या 376/342 के ख0सं0 81 की 10.479 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश अकेले की बजाय वादी विनोद कुमार एवं प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश व प्रतिवादी संख्या 2 पवन सिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 3 तथा 4 द्वारा अपने हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16-08-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.16 16:21
Reason: SelfAttested

16-08-24

(ओमप्रकाश चन्देलिया) RAS
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner